

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रि. रीडर/2025/

दिनांक -

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भंवरा राम पुत्र नरसिंगाराम
जाति जाट निवासी दूदाबेरी
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 केलाश कुमार पुत्र चेनाराम वगैराह
जाति जाट निवासी शिवभाखरी नांद
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-626/2025

दिनांक-23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवभाखरी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 248/16 रकबा 7.2681 हैक्टेयर, खसरा संख्या 512/262 रकबा 3.3023 हैक्टेयर, व मौजा वीर तेजाजी नगर पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 544 रकबा 2.5576 हैक्टेयर, खसरा संख्या 697/554 रकबा 1.3678 हैक्टेयर खसरा संख्या 806/693 रकबा 2.9542 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दूदाबेरी व पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भंवरा राम पुत्र नरसिंगाराम जाति जाट निवासी दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण केलाश कुमार पुत्र चेनाराम वगैराह जाति जाट निवासी शिवभाखरी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।



अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर